

दैनिक राजस्थान पत्रिका  
२७-७-२०१५

## राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय

- :: आवश्यक सूचना :: -

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर शहर की सामान्य पंजीकरण योजना वर्ष 1979 एवं पश्चातवर्ती वर्षों के मध्यम आय वर्ग "ब" एवं मध्यम आय वर्ग "अ" के पंजीकृत आवेदकों को परियोजनानुसार एवं श्रेणीवार उपलब्ध फ्लैटों की आवंटन लॉटरी दिनांक 26.08.2015 को प्रातः 11.30 बजे उप आवासन आयुक्त वृत्त द्वितीय, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर कार्यालय में वेब बेस्ड प्रणाली के आधार पर आयोजित की जायेगी। उक्त फ्लैट नम्बर आवंटन लॉटरी हेतु सम्बन्धित आवेदकों को दिनांक 21.08.2015 तक आक्षेप (यदि कोई है) प्रस्तुत करना होगा। इस तिथि के पश्चात किसी भी आवेदक का कोई आक्षेप स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट :- आवास आवंटन लॉटरी में पति पत्नी एवं परिवार के आश्रित अन्य आवेदक के नाम जयपुर स्थित मण्डल अथवा जयपुर विकास प्राधिकरण / नगर निगम आदि में कोई भूखण्ड / आवास का पंजीकरण / आवंटन पाये जाने पर आवेदक का पंजीकरण / आवंटन सदैव निरस्त किये जाने एवं सम्पूर्ण पंजीकरण राशि जम्मा किये जाने योग्य होगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी। इस बाबत आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 21.08.2015 तक रापथ पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- :: उक्त लॉटरी का चरणबद्ध कार्यक्रम निम्न प्रकार से है :: -

### लॉटरी का कार्यक्रम

क्र. सं.	विवरण	दिनांक / समय	स्थान
1.	लॉटरी हेतु आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	17.08.2015 सांय 5.00 बजे	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय रा.आ.म., अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर के नोटिस बोर्ड एवं मण्डल की वेबसाईट पर।
2.	अस्थाई सूची पर आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	21.08.2015 सांय 6.00 बजे तक	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय रा.आ.म., अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर के नोटिस बोर्ड पर
3.	लॉटरी हेतु योग्य आवेदकों की अन्तिम सूची का प्रकाशन	25.08.2015 सांय 5.00 बजे	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय रा.आ.म., अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर के नोटिस बोर्ड एवं मण्डल की वेबसाईट पर।
4.	आवास आवंटन लॉटरी	26.08.2015 प्रातः 11.30 बजे	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय रा.आ.म., अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।

- यदि किसी आवेदक ने पूर्णग्रहण राशि जमा करवाकर रसीद की प्रति व अन्य आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में नहीं दी है। इस कारण प्रस्तावित लॉटरी से बंचित रहता है तो उक्त आवेदक को स्वयं जिम्मेदार होगा।
- लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भुगतान पद्धति में परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की सम्पूर्ण सूची मण्डल की वेबसाईट [www.rhonline.rajasthan.gov.in](http://www.rhonline.rajasthan.gov.in) तथा अयोग्य आवेदकों की अन्तिम सूची कार्यक्रम अनुसार वृत्त द्वितीय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।

रा.सं.बा.द/सी/15/2079

उप आवासन आयुक्त  
वृत्त द्वितीय जयपुर

20/08/15

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय  
राजस्थान आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर




क्रमांक :- DHC-II/2015/ 957

दिनांक :- 17.8.2015

आवश्यक सूचना

दिनांक 27.07.2015 को राजस्थान पत्रिका के संस्करण में प्रकाशित वृत्त कार्यालय मानसरोवर के अधीन दिनांक 26.08.2015 को आयोजित की जाने वाली लॉटरी से संबन्धित आवश्यक सूचना के बिन्दु संख्या 3 को विलोपित मानते हुये निम्नानुसार संशोधन पढा जावे :-

लॉटरी में योग्य आवेदको की अन्तिम सूची निर्धारित कार्यकमानुसार मण्डल की वेबसाईट [www.rhbonline.com](http://www.rhbonline.com) व वृत्त कार्यालय द्वितीय जयपुर के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।

  
उप आवासन आयुक्त  
वृत्त द्वितीय, जयपुर